ग्राम विकास समिति

गांव के आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय व्यवस्था को कायम करने की मुख्य ईकाई ग्रामसभा है। इसके लिए मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्रामस्वराज अधिनियम 1993 के अनुसार ग्रामसभा को व्यापक अधिकार सौंपे गये है। पंचायतराज व्यवस्था के तहत ग्रामसभा एक ऐसी निकाय है जो राजस्व व वनग्रामों के 18 साल के ऊपर के नागरिकों यानि समस्त मतदाताओं से मिलकर बनती है। ग्रामसभा के कामों में सुगमता लाने के लिए ग्रामसभा की दो स्थायी समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है। ये दो समितियां है ग्राम निर्माण समिति एवं ग्राम विकास समिति। हम यहां ग्राम विकास समिति के बारे में चर्चा करेंगे।

सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में ग्राम विकास समिति की अहम भूमिका है। यह समिति गरीबी और असमानता दूर करने, बेरोजगारी, भूख एवं कुपोषण को हटाने की योजना बनाने, सबको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पेयजल एवं स्वच्छता आदि विषयों पर गांव स्तर पर कारगर कदम उठा सकती है।

ग्राम विकास समिति में सदस्य कौन होंगे?

ग्राम विकास समिति में कुल 5 सदस्य होंगे।

सरपंच–सभापति, उपसरपंच–उप सभापति, एक पंच–सबंधित ग्रामसभा, एक सदस्य अनुसूचित जाति / अनसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग, कम से कम एक महिला सदस्य। यदि अनूसूचित जाति या अनूसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का कोई व्यक्ति उपलब्ध न हो तो अनारक्षित वर्ग से पद भरा जायेगा। परन्तु पद को भरने के लिए एक वर्ग से एक व्यक्ति ही पात्र होगा।

ग्राम विकास समिति के सभापति और सदस्यों का कार्यकाल

ग्राम विकास समिति के सभापति एवं सदस्यों का कार्यकाल वही होगा जो ग्राम पंचायत का कार्यकाल है। सरपंच का पद रिक्त होने की स्थिति में सरपंच के चुने जाने तक उप-सरपंच ग्रामसभा की स्थायी समिति के सभापति के रूप में काम करेंगे।

ग्राम विकास समिति के सदस्यों का चुनाव कैसे होगा?

ग्रामसभा की स्थायी समितियों के गठन के लिए मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचित (24 नवम्बर 2012) के अनुसार ग्राम पंचायत चुनाव नतीजों के प्रकाशन के एक माह के भीतर ग्रामसभा की बैठक बुलायी जायेगी। संबंधित समिति के काम व जिम्मेदारियों को ग्रामसभा में स्पष्ट किया जायेगा। पूरी बात समझने के बाद सदस्यों की रूचि के अनुसार समिति का गठन होगा।

- स्थायी समिति के सदस्य पद हेतु नाम निर्देशन पत्र भरा जायेगा एवं उम्मीदवार द्वारा मांग करने पर नाम वापस लिया जा सकेगा।
- नाम निर्देशन पत्रों की जांच के बाद यदि पदों की संख्या और उम्मीदवारों की संख्या समान है तो उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित कर दिया जायेगा।
- यदि उम्मीदवारों की संख्या खाली पदों की संख्या से अधिक है तो हाथ उठाकर मतदान के जरिये फैसला लिया जायेगा और परिणाम घोषित किया जायेगा।

ग्राम विकास समिति की बैठक एवं एजेंडा

ग्राम विकास समिति के सभापति जितनी बार भी जरूरत समझें, उतनी बार समिति की बैठक बुला सकते हैं। समिति की महीने में कम से कम एक बार बैठक बुलाना आवश्यक है।

- समिति की बैठक की सूचना सचिव द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार बैठक के पांच दिन पहले सभी सदस्यों को दी जायेगी।
- स्थायी समिति का सभापति यदि मांग के अनुसार 10 दिन के अंदर बैठक नहीं बुलाते हैं तो सचिव द्वारा अगले कार्यदिवस में बैठक की तारीख घोषित कर दी जायेगी।
- स्थायी समिति के बैठक में आधे सदस्यों की उपस्थिति से कोरम पूरा माना जायेगा। किसी मसले पर फैसले के दौरान जरूरत पड़ने पर सभापति का मत निर्णायक होगा।
- कोरम पूरा न होने की स्थिति में बैठक स्थगित की जायेगी और आगे की तारीख की घोषणा भी यदि उचित समझा जाये तो घोषित की जायेगी। स्थगित बैठक पुनः आयोजित होने पर नया एजेण्डा नहीं होगा पर कोरम की पूर्ति आवश्यक होगी।
- स्थायी समिति की सभी बैठकों के सभापति सरपंच होंगे। सरपंच की अनुपस्थिति में उपसरपंच सभापति होंगे यानि बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

ग्राम विकास समिति की बैठक में किन विषयों पर चर्चा की जायेगी यह सचिव द्वारा सभापति की राय से तय किया जाता है। बैठक में चर्चा के लिए समिति सदस्य पहले से कोई विषय सचिव को बैठक के 3 दिन पहले लिखित में दे सकते है। बैठक में सदस्यों की अनुमति के बाद किसी नये एजेंडे को भी बातचीत के लिए शामिल किया जा सकेगा।

यदि कोई विषय एक से अधिक समितियों से संबंधित है तो इसे विचार के लिए ग्रामसभा के समक्ष रखा जायेगा। यदि कोई विषय नीतिगत है तो समिति सदस्यों की सिफारिश पर निर्णय लेने हेतु ग्रामसभा को भेजा जायेगा।

ग्राम विकास समिति की शक्तियां एवं काम

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम एवं नियम के अनुसार तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अधीन रहते हुए समितियों को निम्न अधिकार एवं काम करने होंगे -

- ग्राम विकास कार्यक्रम
- योजना, बजट, वित्त, लेखा एवं कर से संबंधित सभी मामले
- सार्वजनिक संपत्ति एवं खेती संबंधी मामले
- लोक स्वास्थ्य एवं ग्राम सुरक्षा
- अधोसंरचना यानि संचार एवं आवास आदि
- प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता से जुड़े विषय जो ग्राम निर्माण समिति के दायरे में न आते हों।
- अन्य ऐसे मामले जो ग्रामसभा द्वारा ग्राम विकास समिति को सौंपे जायें।

ग्राम विकास समिति की बैठक की प्रक्रिया क्या होगी?

ग्राम विकास समिति की बैठक बनाये गये कायदों के अनुसार ही होनी चाहिए -

- बैठक की सूचना सचिव द्वारा समिति के सभी सदस्यों को 5 दिन पहले लिखित में दी जायेगी एवं बैठक में चर्चा के बिन्दुओं अर्थात एजेण्डा की प्रति भी दी जायेगी।
- बैठक के लिए सारी व्यवस्थायें (पीने के पानी, दरी या कुर्सी बैठक के स्थान पर साफ-सफाई आदि) एवं जरूरी दस्तावेज (म.प्र. पंचायतराज व ग्रामस्वराज अधिनियम, परिपत्र आदेश व निर्देश, पिछली बैठक के विवरण) पहले से तैयार हों एवं बैठक के स्थान पर रखे हों।
- बैठक के पूर्व कोरम पूर्ति को स्पष्ट कर लेना जरूरी है कि बैठक के लिए आवश्यक सदस्य उपस्थित हैं या नहीं।
- बैठक की शुरूआत बैठक के सभापति के घोषणा के साथ होनी चाहिए। सभापति के सभापतित्व में बैठक शुरू हो एवं सबसे पहले पिछली बैठक में लिये गये फैसलों की समीक्षा कर लेना चाहिए। साथ ही पिछली बैठक में लिये गये फैसलों पर यदि कार्यवाही नहीं हो पायी है तो उसे पुन: निश्चित किया जाना चाहिए।
- पिछली बैठक की समीक्षा एवं जरूरी निर्णय लेने के बाद बैठक के लिए पहले से तय किये गये एजेंडे पर क्रम से बातचीत की जाए। यदि किसी और विषय पर सदस्यों द्वारा चर्चा कराने की मांग की जाती है तो सहमति से उसे भी चर्चा में शामिल किया जाये।
- सभी एजेंडे पर निर्धारित क्रम के अनुसार सभापति के द्वारा चर्चा करायी जाये और हर विषय पर किए गए फैसले क्रम से लिखे जाएंगे।
- स्थायी समितियों द्वारा लिये गये फैसलों पर ग्राम पंचायत अमल करेगी। सभी एजेंडे पर बातचीत और फैसले हो जाने के बाद समिति के सचिव द्वारा आज हुई चर्चा एवं लिए गये फैसले को सभी सदस्यों को उसी समय पढ़कर सुनाया जाना चाहिए।
- इस विवरण को सभापति एवं सचिव के द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। सभी सदस्यों के निर्धारित प्रारूप के अनुसार रजिस्टर पर उपस्थिति ली जायेगी एवं उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद देते हुऐ सभापति द्वारा बैठक समाप्ति की घोषणा की जायेगी।

ग्राम विकास समिति की बैठक में फैसले कैसे होंगे?

ग्राम विकास समिति की बैठक में शामिल किसी भी मामले पर फैसला सबकी सहमति से लिया जायेगा। यदि किसी विषय पर सदस्यों में सर्वसम्मति नहीं है या भिन्न मत है तो फैसला बहुमत के आधार पर लिया जायेगा। इसके लिए मतदान कराया जायेगा। स्थायी समिति द्वारा लिये गये किसी भी फैसले पर 6 माह के पहले पुनर्विचार नहीं किया जायेगा। 6 माह के पहले समिति के फैसलों पर पुनर्विचार के लिए समिति के तीन चौथाई सदस्यों की सहमति लेना जरूरी है। ग्राम विकास समिति की बैठक का विवरण निर्धारित प्रारूप में रखा जायेगा। समिति के सचिव द्वारा हर बैठक का विवरण लिखा जायेगा एवं सभापति एवं सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा। स्थायी समिति के फैसलों पर सचिव द्वारा कार्यवाही की जायेगी तथा की गयी कार्यवाही की प्रगति ग्रामसभा की आगामी बैठक में रखी जायेगी।

ग्राम विकास समिति को कैसे प्रभावी बनायें?

ग्राम विकास समिति गांव की विकास योजना बनाने के लिए महत्वपूर्ण समिति है। गांव के हर जरूरतमंद व्यक्ति को विकास योजनाओं का लाभ दिलाने गांव में सुविधाएं एवं सेवाओं का स्तर बेहतर बनाने के लिए ग्राम विकास समिति का मजबूत व प्रभावी होना जरूरी है। यह देखना जरूरी होगा कि समिति के सदस्यों में समिति के कामकाज को लेकर कितनी रूचि है एवं वे कितने सजग हैं?

- सभी सदस्यों को ग्राम विकास समिति के काम एवं शक्तियों के बारे में जानकारी दें। समिति की महत्ता एवं उनके योगदान के बारे में चर्चा करके बैठकों में उपस्थित होने के लिए प्रेरित करें।
- यदि कुछ सदस्य समिति के प्रति रूचि नहीं रखते तो समिति के पुनर्गठन के लिए ग्रामसभा में प्रस्ताव रखा जा सकता है और गांव के विकास में रूचि रखने वाले अन्य सदस्यों को नियमानुसार शामिल किया जा सकता है।
- हमें अपनी ग्राम विकास समिति को मजबूत बनाना है तो एक सहयोगी/समर्थन समूह बनाना होगा, जो ग्राम विकास समिति के कामों में सहयोग करे। ध्यान रहे ग्राम विकास समिति ग्रामसभा के प्रति जवाबदेय है और किसी भी तरह के परिवर्तन के लिए ग्रामसभा में ही चर्चा की जायेगी।
- गांव के सक्रिय व्यक्ति जो गांव के प्रति सकारात्मक पहल एवं रुचि रखते हैं, उन्हें सभापति की सहमति से सदस्य न होते हुये भी बैठक में शामिल करें।
- गांव या क्षेत्र में काम कर रही संस्थाओं के सदस्यों को भी सहयोग एवं सुझाव के लिए आमंत्रित किया जा सकता है।
- ग्राम विकास समिति की बैठक में गांव के विकास व सुविधाओं एवं सेवाओं की बेहतरी के बारे में चर्चा को केन्द्रित करें। गांव की स्थिति का विश्लेषण करें एवं स्थिति विश्लेषण से निकले बिंदुओं के आधार पर आवश्यकताओं को चिन्हित किया जाये।
- आवश्यकताओं की सूची अधिक होने पर प्राथमिकता का निर्धारण आपसी सहमति के आधार पर किया जाये एवं तत्पश्चात् योजना का प्रारूप तैयार किया जाये। प्राथमिकता के आधार पर बनी योजना को ग्रामसभा के समक्ष स्वीकृति के लिए रखा जाये।
- ग्राम विकास समिति के सदस्य ग्रामसभा में योजना को स्वीकृत कराने के लिए पंचों के साथ मिलकर गांव के लोगों को ग्रामसभा में आने के लिए प्रेरित भी करें।
- ग्रामसभा में समिति द्वारा बनायी गयी योजना को स्वीकृति के लिए पैरवी भी करें। इस तरह यदि समिति लोगों के साथ मिलकर काम करती है तो उसकी विश्वसनीयता बढ़ेगी एवं समिति सशक्त होगी।

VIKAS SAMVAD

विकास संवाद, ई-7/226, प्रथम तल, धनवंतरी काम्प्लेक्स के सामने, अरेरा कालोनी, शाहपुरा, भोपाल. मध्यप्रदेश. भारत

फोन – 0755-4252789 / vikassamvad@gmail.com

इस अध्ययन सामग्री को संक्षिप्त एवं सरल रूप में प्रस्तुत किया गया है अधिक स्पष्टता या जानकारी हेतु मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम-1994 की मूल प्रति एवं विभागीय निर्देश देखें।